

कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक आगरा परिक्षेत्र आगरा।

पत्र संख्या: सीओए—एसी—1(ज0सू0प्र0वि—01) / 2022

दिनांक: मई 26, 2022

सेवा में,

जनसूचना अधिकारी,
मुख्यालय, पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0 लखनऊ।

कृपया अपने पत्र संख्या: डीजी—14—ज0सू0अ0—वेबसाइट—पु0त0से0 / 13 दिनांक 11.12.2015 के सन्दर्भ में सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 की धारा— 4 (1)(ख) के अनुसार आगरा परिक्षेत्र आगरा की निम्नलिखित सूचना उ0प्र0 पुलिस की नई वेबसाइट <http://uppolice.gov.in> पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित है।

जनसूचना अधिकार अधिनियम—2005 की धारा 4 (1)(ख) से सम्बन्धित 17 बिन्दुओं की सूचना आगरा परिक्षेत्र आगरा।

1— परिक्षेत्र स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 के अन्तर्गत एक प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, जिसमें एक जनसूचना अधिकारी एवं अधीनस्थ सहायक जनसूचना अधिकारी की नियुक्ति की गयी है।

2— जनसूचना अधिकारी/कर्मचारी के अधिकार तथा कर्तव्य— आवेदकों द्वारा मॉगी जाने वाली सूचनाओं को जनसूचना अधिकार अधिनियम की धारा 6(3)के अन्तर्गत सम्बन्धित जनपदों को आन्तरित करना एवं अधीनस्थ जनपदों से सूचना प्राप्त कर सम्बन्धित को उपलब्ध कराना।

सहायक जनसूचना अधिकारी की शक्तियां/कार्य— अपने शाखा से सम्बन्धित सूचना को जनसूचना अधिकारी को समय से उपलब्ध कराना व प्रत्येक प्रकरणों से जनसूचना अधिकारी परिक्षेत्रीय कार्यालय को नियत समय से पूर्व अवगत कराना व प्रस्तुत करना।

3— प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर उसको आमद रजिस्टर करना एवं सम्बन्धित जनपदों को सूचना का अधिनियम की धारा 6(3) के अन्तर्गत आन्तरित करना तथा सूचनाये प्राप्त कर सम्बन्धित को निर्धारित समय में उपलब्ध कराना।

4— निहित सीमा के अन्तर्गत सूचनाओं को सम्बन्धित जनपदों से प्राप्त करना व समय सीमा के अन्तर्गत आवेदक को सूचना उपलब्ध कराना होता है।

5— जनसूचना का अधिकार अधिनियम—2005 के अन्तर्गत दिये गये नियमों का अनुपालन करना / कराना।

6— दस्तावेजों का श्रेणीवार विवरण निम्नलिखित है—

- ❖ कार्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र।
- ❖ शासन / मा0 आयोग से प्राप्त प्रार्थना पत्र।
- ❖ जोन कार्यालय द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र।
- ❖ पंजीकृत डाक द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र।
- ❖ अपीलीय प्रार्थना पत्र

- 7– सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।
- 8– सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।
- 9– जनसूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत दिये गये नियमों का अनुपालन किया जाता है।
- 10– सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।
- 11– सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।
- 12– सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।
- 13– सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।
- 14– संगठन द्वारा प्रदत्त छूट, अधिकार पत्र तथा अधिकृतियों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण शून्य है।
- 15– इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में उपलब्ध करायी गयी सूचना— उक्त सूचना को इलेक्ट्रॉनिक रूप से निरुद्ध होने के बाद उसकी प्राप्ति के सम्बन्ध में अवगत कराया जायेगा।
- 16– लोक सूचना अधिकारियों के नाम व पदनाम— पुलिस महानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र, आगरा कार्यालय में लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति निम्नलिखित है।

क्र०स०	नाम	पदनाम	कार्य
1	श्री योगेन्द्र शर्मा	प्रधान लिपिक / जनसूचना अधिकारी	व्यक्तियों / सम्भालों द्वारा मांगी गयी सूचना को अपने अधीनस्थ जनपदों से प्राप्त कर सम्बन्धित को उपलब्ध कराना व जनसूचना अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–6(3)के अन्तर्गत सम्बन्धित जनपदों को आंतरित करना।
2	श्री विनोद कुमार वर्मा	एसआईएम / सहायक जनसूचना अधिकारी	जनसूचना अधिकारी को अपनी शाखा से सम्बन्धित सूचना समय से उपलब्ध कराना व समस्त अभिलेखों का रखरखाव सुनिश्चित करना।

- 17– सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।



जनसूचना अधिकारी,
कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक,
आगरा परिक्षेत्र, आगरा।